माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : मा.शि.बो. / सम्पदा / 2023 / दिनांक : ....

....

....

....

....

कार्यालय भवन में उत्तरपुस्तिका बण्डलों के अनुपयोगी टाट के टुकड़ों की नीलामी की जानी है। जिस हेतु जी.एस.टी. पंजीकृत क्रेता निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होकर नीलामी कार्यवाही में सम्मिलित हो सकते है। नीलामी के संबंध में विस्तृत विवरण व शर्तें निम्नानुसार है :–

अनुपयोगी टाट के विक्रय हेतु नीलामी की शर्तें

1. नीलामी दिनांक 19.12.2023 को की जायेगी। नीलामी के लिए 11.00 बजे से 12.00 बजे तक सभी बिडर्स द्वारा बयाना राशि जमा की जायेगी, उक्त समय पश्चात् बयाना राशि जमा नहीं की जायेगी। नीलामी स्थल पर केवल बयाना राशि जमा कराने वाले बिडर ही उपस्थित रहेंगे।
2. नीलामी की बोली अपरान्ह 12.15 बजे से शुरू की जायेगी।
3. नीलामी के माल का बिडर दिनांक 11.12.2023 से 18.12.2023 तक कार्यालय दिवस में प्रातः 11.00 बजे से 04.00 बजे तक अवलोकन कर लें।
4. माल बोर्ड कार्यालय परिसर में पार्किंग स्थल के प्रथम तल में रखा है, वहां से माल जैसा है, जिस स्थिति में है, बेचा व उठाया जाना है। माल उठाने का कोई भी व्यय बोर्ड द्वारा वहन नहीं किया जायेगा।
5. बयाना राशि रू. 1,000 / – जमा कराने वाले बिडर ही नीलामी में भाग लेने योग्य होंगे।
6. नीलामी में केवल बयाना राशि जमा कर बोली लगाने के लिए अधिकृत बोलीदाता ही भाग ले सकेंगे।
7. न्यूनतम आरक्षित दर रू 41,000 / – के आगे ही बोली प्रारम्भ की जायेगी।
8. अंतिम बोली छोड़ने का अधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित होगा।
9. पर्याप्त दर के अभाव में नीलामी निरस्त करने का अधिकार समिति को होगा।
10. सफल बिडर को बोली के दिवस ही विक्रय मूल्य की सम्पूर्ण राशि, बयाना राशि को समायोजित करते हुए जमा करानी होगी।
11. अनुपयोगी टाट के टुकड़ों के विक्रय पर 5% जीएसटी देय होगा जो नियमानुसार पृथक से फर्म द्वारा संबंधित विभाग में जमा कराया जायेगा।
12. नियमानुसार जीएसटी जमा का प्रमाण पत्र दिखाये जाने पर समस्त सामग्री उठाने अथवा ले जाने दी जायेगी।
13. समस्त सामग्री सफल बिडर द्वारा बोली दिवस के 15 दिवस की अवधि में ही उठानी होगी। अन्यथा 15 दिवस की समाप्ति के पश्चात प्रतिदिन रूपये 300 / – (यदि फर्म द्वारा कुछ माल उठा लिया गया और कुछ माल शेष रह गया हो तो भी) गोदाम किराये के रूप में वसूला जायेगा।
14. असफल बिडर्स की बयाना राशि नीलामी समाप्ति उपरान्त लौटा दी जायेगी एवं सफल बिडर की बयाना राशि का समायोजन बोली की राशि में किया जा सकता है। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
15. विवाद की स्थिति में सचिव मा.शि.बो.राजस्थान, अजमेर का निर्णय अंतिम तथा बोलीदाताओं को स्वीकार्य होगा।
16. नीलामी बोर्ड कार्यालय के मुख्य भवन के पार्किंग स्थल में की जायेगी।
17. किसी भी प्रकार की जानकारी / शंका समाधान हेतु सहायक निदेशक / उपसचिव श्रीमती मन्जू मेहता से दूरभाष 9414258371 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
18. अन्य नियम व शर्तें राजस्थान सरकार के लेखा नियम तथा पारदर्शिता नियमों के अनुसार होंगी।

29/11/23

उप सचिव (सम्पदा)